

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: nssceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ.8(14)नशा / एनएसएस / आकाशि / 2022 / 827 - 31

दिनांक: 10 नवम्बर, 2022

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय :— नशा मुक्त भारत बाबत।

सन्दर्भ :— शासन उप सचिव प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्र क्रमांक प.10(45)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2020 जयपुर दिनांक 17.10.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र एवं संलग्नकों की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए आपके महाविद्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित करें कि महाविद्यालय में नशे से पीड़ित विद्यार्थियों की पहचान कर इसकी सूचना परिवार जन को समय रहते दे ताकि विद्यार्थी को नशे की लत से बचाया जा सके एवं नशा मुक्त भारत बनाया जा सके।

कृपया महाविद्यालय में नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर एवं मेल आई.डी समन्वयक, युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय की ई-मेल आई.डी. nssceraj@gmail.com पर अविलम्ब प्रेषित करें।

कृपया कार्य को प्राथमिकता देवें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

*Sankul*

(डॉ. शैला महान)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि —

1. शासन उप सचिव प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्र क्रमांक प. 10(45)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2020 जयपुर दिनांक 17.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय को प्रेषित कर लेख है कि जयपुर जिले की राजकीय / निजी महाविद्यालयों को मेल / अपलोड करने हेतु।

*10.11.22*  
(डॉ. सुरन्द्र सिंह)

समन्वयक,  
युवा कौशल एवं विकास प्रकोष्ठ

75  
19/10/2022

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (युप-3) विभाग

क्रमांक प. 10(45)शिक्षा / युप-3 / 2020

जयपुर, दिनांक: 17/10/22

20 A.M.

आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।

686

19/10/22

विषय:- अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2022 को  
हुई बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, गृह (युप-9) विभाग से प्राप्त पत्र  
दिनांक 12.10.2022 में राज्य में एन्टी नारकोटिक्स निदेशालय/आयुक्तालय के गठन के  
संबंध में चर्चा किये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक  
21.09.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण है।

उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण की छायाप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

9/10/22  
(बूजमोहन नागिया)  
शासन उप सचिव प्रथम

प्रति  
4515

प्रति 17/10/22

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:- प.36(1)गृह-9/2011 पार्ट लूज

जयपुर, दिनांक : 12 OCT 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

राज्य में एन्टी नारकोटिक्स निदेशालय/आयुक्तालय के गठन के संबंध में चर्चा किये जाने हतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में दिनांक 21.09.2022 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

CCE; DS, HE;  
JS, HE

- श्री भानुप्रकाश एटूल, शासन सचिव, गृह विभाग।
- डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
- श्री अशोक कुमार राठौड़, अति. महानिदेशक पुलिस, एसओजी।
- श्री जसवंत सिंह, संयुक्त शासन सचिव, वित्त(आबकारी) विभाग।
- श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय।
- श्री धर्मेन्द्र सिंह, राज्य सम्पर्क अधिकारी, एन.एस.एस. और एन.सी.सी.।
- श्री अजय फाटक, औषधि नियंत्रक।
- श्री दीपक सोनी, सहायक शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-6)।
- श्री प्रवीण लेखरा, संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)।
- श्री रविन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय।
- श्री शैलेष जंबोटकर, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय ईकाई, एनसीबी, जोधपुर।

14.10.2022

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न विन्दुओं पर चर्चा की गई:-

- राज्य में नशा विरोधी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एन्टी नारकोटिक्स निदेशालय का गठन किया जाना है, जिसमें संबंधित विभागों के स्तर पर समर्त कार्य का संपादन किया जाये, जिसकी मॉनिटरिंग/समीक्षा निदेशालय द्वारा की जाये।
- शिक्षा विभाग से एन्टी नारकोटिक्स निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक स्तर का अधिकारी निदेशालय में शामिल किया जाये, जिसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का रिव्यू गृह सचिव, राजस्थान द्वारा किया जाये। शैक्षिक समुदायों में छात्र, शिक्षक, माता-पिता व शैक्षिक प्राधिकरण को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किये जाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञानी को शामिल किया जाये।

कार्यालय शासन सचिव  
चुन्य एवं नारकोटिक्स निदेशक स्तर का अधिकारी  
संघर्ष एवं नारकोटिक्स निदेशक स्तर का अधिकारी  
दिनांक

6652  
14/10/22

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक स्तर का अधिकारी जो राज्य में व्यसन-मुक्ति के लिए समर्पित हो, निदेशालय में शामिल किया जाये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मनोचिकित्सकों को हायर किया जाये।
- विदेश में संचालित Alcohols Anonymous ग्रुप की तर्ज पर नशे से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नशामुक्ति केन्द्र व उनके पुनर्वास के कार्य किये जाने का सुझाव दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे निजी नशामुक्ति केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जाये।
- नशा मुक्ति के क्षेत्र में सक्रिय स्वयं सेवी संस्थानों को प्रोत्साहित कर उनके प्रतिनिधि निदेशालय में शामिल किये जाने की बात रखी गयी। राज्य में नशा-पीड़ितों के पुनर्वास केन्द्र में स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारिता सुनिश्चित की जाये। पुनर्वास केन्द्रों की रक्कीनिंग संभागीय मुख्यालयों पर NGOs द्वारा की जाये।
- निदेशालय द्वारा प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा व कोटा जिलों को केन्द्रित कर कार्य का आरम्भ किया जाये।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज व संस्थानों में नशों से पीड़ित व्यक्तियों की जानकारी देने के लिए हेल्प लाईन नम्बर जारी किये जाये। जिससे नशा-पीड़ितों को नशे की लत से बाहर लाने के लिए काउंसलिंग व नशा-मुक्ति केन्द्रों की जानकारी दी जा सके। नशे से पीड़ित व्यक्ति की जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जायें।
- पुलिस विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि नशे की समस्या से निजात पाने के लिए एक चैन सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिसमें नशे की सामग्री की पूर्ति कराने वाले व निर्माताओं पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।
- शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में स्त्रोत व्यक्ति की नियुक्त हो, जिसकी पहुंच निदेशालय तक हो, जो संस्थानों में नशे से पीड़ित छात्रों की पहचान कर इसकी सूचना परियार जन को समय रहते दे सके, जिससे उसको नशे की लत लगने से बचाया जा सके।
- सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय को नशा-मुक्ति केन्द्रों की जानकारी, हेल्पलाईन नं. की जानकारी के संबंध में व लोगों को नशों के खिलाफ जन-जागरण अभियान के रूप में विज्ञापन/PPT/पम्पलेट आदि को सोशल मीडिया के माध्यम

से प्रदर्शित/प्रचारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त विज्ञापनों/PPTs/पर्स्परोड़स की सामग्री NCB द्वारा प्रेषित की जाये।

बैठक के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि बैठक में भाग लेने वाले सभी संवंधित विभागों के प्रतिनिधि उनके विभागाध्यक्ष/निदेशक से बैठक में उनके विभाग से संवंधित चर्चा के बारे में अवगत कराते हुए निदेशालय के गठन के संबंध में प्रस्ताव व ढांचा तैयार कर गृह विभाग को भिजवाया जायें। साथ ही उक्त बैठक के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया व राय से शासन सचिव, को अवगत करायें।

बैठक समाप्त हुई।

(सीमा कुमार)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, रक्षूल शिक्षा।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(आवकारी) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
8. अति. महानिदेशक पुलिस, एसओजी।
9. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण।
10. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
11. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय।
12. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय ईकाई, एनसीबी, जोधपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

(मुकेश पारिक)

शासन उप सचिव